बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश 47

का०आ0सं0– निग/सारा–7–मं०नि० (मुख्यालय)–10/07– पटना, दिनांक 11/3/25

श्री श्यामनन्दन राय, तत्कालीन अभिलेखवाह, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को निगरानी थाना कांड संख्या–37/2007 में दिनांक 17.03.2007 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के कारण कार्यालय आदेश संख्या–140–सहपठित ज्ञापांक–1943 (ई०) दिनांक 11.04.2007 द्वारा अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया तथा कार्यालय आदेश संख्या–148 दिनांक 24.04.2007 द्वारा उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात उनके द्वारा दिनांक 25.06.2007 को समर्पित योगदान पर कार्यालय आदेश संख्या–37–सहपठित ज्ञापांक–623 (ई०) दिनांक 08.02.2008 द्वारा दिनांक 25.06.07 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया तथा कार्यालय आदेश संख्या–38–सहपठित ज्ञापांक–624 (ई०) दिनांक 08.02.2008 द्वारा अगले आदेश तक के लिए पुनः निलंबित किया गया। श्री राय के विरूद्ध कार्यालय आदेश संख्या–315–सहपठित ज्ञापांक–4765 (ई०) दिनांक 09.10.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2 उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाए जाने के मंतव्य/निष्कर्ष के आलोक में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त--सह–विशेष सचिव के कार्यालय आदेश संख्या–52–सहपठित ज्ञापांक–859 (ई०) दिनांक 27.02.08 द्वारा श्री राय को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड में न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया।

3. उक्त घटना के बाद मामले की पुनसर्मीक्षा की गई एवं पाया गया कि श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिलेख आधारित साक्ष्य को नजर अंदाज कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। साथ ही, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा श्री राय के आवास से जब्त किये गये 1,01,000/– रुपये, जिसके श्रोत के संबंध में वे नहीं बता पाये, का उल्लेख गठित आरोप–पत्र में नहीं हैं फलतः विभागीय कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण पाते हुए श्री राय को निलंबित कर उनके विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में कार्यालय आदेश संख्या–78 सहपठित ज्ञापांक–1374 (ई०) दिनांक 09.04.2008 द्वारा श्री राय को तात्कालीक प्रभाव से निलंबित किया गया एवं कार्यालय आदेश संख्या–79 सहपठित ज्ञापांक–1375 (ई०) दिनांक 09.04.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–836, दिनांक 06.04.2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया। विभागीय समीक्षोपरांत मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओं को अंकित कर पत्रांक–6378 (एस) दिनांक 01.06.2011 द्वारा श्री राय से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। उन्होंने पत्रांक–शून्य, दिनांक 15.06.2011 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया। श्री राय के द्वितीय कारण–पृच्छा के विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में विभागीय कार्यालय आदेश सं०–07–सहपठित ज्ञापांक–312 (एस) दिनांक 14.01.2013 द्वारा इसे अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड/निर्णय संसूचित किया गया :–

(i) इन्हें चतुर्थ वर्ग के न्यूनतम वेतनमान के प्रक्रम पर पदावनत किया जाता है।
(ii) सेवापर्यन्त इनके वेतनवृद्धि पर रोक लगायी जाती है।
(iii) तात्कालीक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा निलंबन अवधि का विनियमन कारण–पृच्छा कर किया जा सकेगा।

5. विभागीय पत्रांक–1180 (एस), दिनांक 14.02.2013 से श्री राय से निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने के संबंध में कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री राय ने पत्रांक–शून्य, दिनांक 19.02.2013 द्वारा अपना कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसके समीक्षोपरांत कार्यालय आदेश संख्या–252–सहपठित ज्ञापांक–8635 (एस) दिनांक 11.11.2013 के द्वारा उनके निलंबन अवधि के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(i) हिरासत अवधि दिनांक 17.03.2007 से 24.06.2007 तक विनियमन श्री राय के विरूद्ध दायर आपराधिक मामले में न्यायालय के निर्णय के आलोक में किया जायेगा।
(ii) दिनांक 08.02.2008 से 26.02.2008 एवं दिनांक 09.04.2008 से 13.01.2013 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा, परन्तु अन्य प्रयोजन के लिए यह अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।
(iii) श्री राय के निलंबन की तिथि दिनांक 09.04.2008 के एक वर्ष पश्चात दिनांक 09.04.2009 के प्रभाव से देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री श्यामनन्दन राय के द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध पत्रांक–शून्य, दिनांक 11.02.2013 से अपील अभ्यावेदन भी समर्पित किया गया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत कोई नया विचारणीय तथ्य नहीं पाये जाने के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–185–सहपठित ज्ञापांक–5560 (ई०) दिनांक 03.09.2013 द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

7. श्री राय ने पत्र दिनांक 27.11.2024 के द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–37 / 2007 से उद्भूद Special Case No-19/2007 में दिनांक 07.09.2024 को विशेष न्यायाधीश निगरानी के द्वारा पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति संलग्न कर अपना अभ्यावेदन समर्पित किया है, जिसमें उनके द्वारा अद्यतन घटनाक्रम से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया है कि उन्हें उक्त वाद में सक्षम न्यायालय ने आरोप से मुक्त कर दिया है, अतः उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संसूचित दण्डादेश को निरस्त कर, इसके फलाफल स्वरूप उनके निलंबन आदि का पूर्ण वेतन भत्तों के साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित करते हुए सभी अनुवर्ती लाभ प्रदान किया जाय।

श्री राय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Capt. M. Paul Anthony Vs. Bharat Gold Mines Limited & Another (1990) 3 supreme court case 679 में पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए विभाग द्वारा श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता तथा श्री नागेन्द्र, कनीय अभियंता के मामले में लिये गये निर्णय को आधार बनाते हुए उनके मामले में भी निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया है।

8. श्री राय के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए इस पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त की गयी। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया परामर्श का कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

"In Captain. M. Paul Anthony (supra) the Supreme Court noticed that if a criminal case as also departmental proceedings were based on identical set of facts, namely, the raid conducted at the appellants residence and recovery of incriminating articles therefrom, the findings recorded by inquiry officer which is based on the same evidence and the criminal case ends in honourable Acquittal, the concerned public servant having been acquitted by judicial pronouncement with the finding that he was not the person who reeived the bribe money or connected with the transaction, it would be unjust, unfair and rather oppressive to allow the findings recorded at the departmental proceeding to stand.

I have also examined the orders passed by the Government in the case of Sri Amleshwar Prasad Singh and Sri Nagendra.

In view of legal principle and considering parity with the

(8)

similarly circumstanced case, it is apposite that the representation of Sri Shyamnandan Rai is considered taking into consideration the case of Mr. Amleshwar Prasad Singh and Mr. Nagendra."

9. उपर्युक्त विधिक परामर्श के आलोक में श्री श्यामनन्दन राय, तत्कालीन अभिलेखवाह, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से निम्नलिखत निर्णय लिया गया है :–

(i) श्री राय के विरूद्ध संसूचित दंडादेश कार्यालय आदेश सं०–07–सहपठित ज्ञापांक–312 (एस) दिनांक 14.01.2013, दंडादेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने से संबंधित कार्यालय आदेश संख्या–185–सहपठित ज्ञापांक–5560 (ई०), दिनांक 03.09.2013 तथा विभिन्न अवधियों में उनके निलंबन अवधि को विनियमित किये जाने से संबंधित कार्यालय आदेश संख्या–252–सहपठित ज्ञापांक–8635 (एस) दिनांक 11.11.2013 को निरस्त किया जाता है। इसके फलस्वरूप श्री राय को सभी अनुवर्ती लाभ देय होगा।

(ii) उल्लेखनीय है कि श्री राय दिनांक 17.03.2007 से 24.06.2007 तक आलोच्य मामले में हिरासत में रहने के कारण निलंबित रहे। सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उक्त अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के फलाफल के रूप में संसूचित दंडादेश एवं अन्य आदेशों को निरस्त किया जा रहा है तो इस कारण से उनके निलंबन अवधि दिनांक 08.02.2008 से 26.02.2008 एवं दिनांक 09.04.2008 से 13.01.2013 को भी पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

ह०/–
अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–7–मं०नि० (मुख्यालय)–10/07– पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–7–मं०नि० (मुख्यालय)–10 / 07– पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग / अवर सचिव, मुख्यालय / लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04 / 13 / 14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री श्यामनन्दन राय, तत्कालीन अभिलेखवाह, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–ग्राम–दल्लूचक, खगौल, पो०–खगौल, थाना–खगौल, जिला–पटना, पिन कोड–801105** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह० / –
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–7–मं०नि० (मुख्यालय)–10 / 07– पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि निर्गत आदेश के अनुरूप अनुवर्ती लाभ दिये जाने संबंधी कार्रवाई किये जाने की कृपा की जाय।

ह० / –
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–7–मं०नि० (मुख्यालय)–10 / 07– 2165(S) पटना, दिनांक 11/3/25

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

11/3/25
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

10.03.25

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh